

उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

सं० २९५ / XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2007

दिनांक: देहरादून: १५ जून 2007

(०१ जून)

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1, वर्ष 1904) (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तराखण्ड, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तरांचल (अब उत्तराखण्ड) मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II (ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

अनुसूची-II (ख) की क्रम संख्या 135 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी; अर्थात्—

“136. अनिर्भित (अनमैन्यूफैक्चर्ड) तम्बाकू बीड़ी और बीड़ी के उत्पादन में प्रयुक्त तम्बाकू।”

Mok Jai
(आलोक कुमार जौन)
प्रमुख सचिव वित्त

सं० २९५ / XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2007 तददिनांक
प्रतिलिपि प्रेषित—

1—कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त अधिकारियों को तुरंत इस अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की को उपरोक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि इनको उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशित करके इसकी 250—250 प्रतियां शासन को तुरन्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Mok Jai
आज्ञा से,
प्रमुख सचिव वित्त,

1206
2-6-07

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 295 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/ 2007 dated May 01 June, 2007 for general information.

UTTARAKHAND SHASAN

VITTA VIBHAG

NO. 295 /XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2007

DATED: DEHRADUN : ०१ जून, २००७

NOTIFICATION

Whereas the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of Uttarakhand (now Uttarakhand) Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P Act no. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow to make with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in Schedule-II (B) of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 –

After the existing entry at serial no 135 of Schedule – II (B) the following entry shall be added; namely-

- "136. Unmanufactured tobacco, bidis and tabocco used in the manufacture of bidis."

By Order,


(ALOK KUMAR JAIN)

PRINCIPAL SECRETARY FINANCE